

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर /

समस्त ज्वाइंट कमिश्नर कार्यपालक व कारपोरेट सर्किल/

समस्त असिस्टेंट कमिश्नर (प्रभारी- व्यापारी सुविधा केन्द्र)

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

रिसीट और पंजीयन माड्यूल के अतिरिक्त रिटर्न (फार्म-24) का माड्यूल भी एन0आई0सी0 द्वारा तैयार कर विभागीय वेबसाइट पर लोड कर दिया गया है। रिटर्न माड्यूल को वेबसाइट से डाउनलोड करके इसमें रिटर्न के विवरण अंकित किये जा सकते हैं।

ट्रेडर्स द्वारा इस माड्यूल पर अपना रिटर्न हार्ड कापी के साथ ही साथ यदि साफ्ट कापी (सी0डी0 या पेन ड्राइव) में भी विभाग को उपलब्ध करा दिया जाता है तो विभाग को रिटर्न की डाटा इन्ट्री नहीं करनी पड़ेगी। इससे एक तरफ कर्मचारियों के श्रम और समय की बचत होगी तो दूसरी तरफ ट्रेडर्स को भी रिटर्न भरने में सुविधा होगी। आगे चलकर इससे वेबसाइट के माध्यम से ई-रिटर्न फाइलिंग की भी सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है। अतः आवश्यक है कि प्रारम्भ में कारपोरेट सर्किल के समस्त ट्रेडर्स तथा सम्भाग के अन्य बड़े व्यापारियों और अधिवक्ताओं तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के बीच इस माड्यूल का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय तथा उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया जाय कि वह विभाग की वेबसाइट से माड्यूल को डाउन लोड करके अपने सिस्टम में लोड कर लें और इस पर रिटर्न की फीडिंग कराकर उसकी एक हार्ड कापी तथा दूसरी साफ्ट कापी तैयार कर लें और रिटर्न जमा करते समय हार्ड कापी के अतिरिक्त (सी0डी0 या पेन ड्राइव में) साफ्ट कापी में भी रिटर्न जमा करें। चूंकि हार्ड कापी के साथ साफ्ट कापी में रिटर्न जमा करने हेतु ट्रेडर्स को केवल प्रेरित ही किया जा सकता है अतः प्रारम्भ में सम्भव है कि केवल बड़े ट्रेडर्स द्वारा ही हार्ड कापी के साथ साफ्ट कापी में रिटर्न जमा किया जाय।

ट्रेडर्स द्वारा साफ्ट कापी में दिये गये रिटर्न को विभाग के सर्वर से जुड़े किसी भी सिस्टम पर लोड करने के पूर्व अधिकारियों / कर्मचारियों को निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी :-

(1) व्यापारी द्वारा साफ्ट कापी (सी0डी0 या पेन ड्राइव) में जो रिटर्न दिया जायेगा, उसे सर्वप्रथम व्यापारी सुविधा केन्द्र में नेटवर्क से अलग रखे कम्प्यूटर पर या हेल्प डेस्क पर लगे ऐसे कम्प्यूटर पर जो नेटवर्क पर न हो, पर चलाकर एण्टी वायरस प्रोग्राम से वायरस स्कैन किया जायेगा और वायरस स्कैन के बाद ही साफ्ट कापी को सर्वर सिस्टम से जुड़े किसी कम्प्यूटर पर लोड किया जायेगा। सिस्टम में लोड करने के बाद व्यापारी यदि सी0डी0 / पेन ड्राइव वापस लेना चाहता है तो वह उसे वापस दे दी जायेगी।

(2) व्यापारियों द्वारा साफ्ट कापी में दिये गये रिटर्न का उसके द्वारा हार्ड कापी में जमा किये गये रिटर्न से शत प्रतिशत मिलान सम्बन्धित कर निर्धारण कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा तथा पांच प्रतिशत रिटर्न का रेन्डम वेसिस पर मिलान सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वयं भी किया जायेगा।

विभाग के अधिकारियों से अपेक्षित है कि वह तात्कालिक प्रभाव से उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दे तथा बड़े ट्रेडर्स, उनके अधिवक्तागण / चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स से फोन या मोबाइल पर वार्ता कर लें तथा उन्हें अधिकाधिक संख्या में उपरोक्तानुसार हार्ड कापी के साथ- साथ साफ्ट कापी में रिटर्न देने हेतु प्रेरित करें। कारपोरेट सर्किल के अधिकारियों को विशेष प्रयास कर अपने सभी सम्बन्धित ट्रेडर्स को उपरोक्त सुविधा से अवगत कराते हुए प्रेरित करना होगा। कारपोरेट सर्किल के अधिकारियों द्वारा चूंकि रिटर्न कारपोरेट सर्किल में ही जमा किया जायेगा अतः यहां भी नेटवर्क से हटकर एक कम्प्यूटर रखना होगा और उस पर सी0डी0 / पेन ड्राइव को एण्टी वायरस प्रोग्राम से वायरस स्कैन करने के बाद ही नेटवर्क के सिस्टम पर लोड किया जायेगा। प्रत्येक माह कारपोरेट सर्किल एवं सम्भाग में कितने ट्रेडर्स द्वारा साफ्ट कापी में रिटर्न जमा किया गया, इसकी सूचना भी मुख्यालय प्रेषित की जायेगी।

रिटर्न माड्यूल के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(सुनील कुमार)

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,

लखनऊ।